

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,

पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

आवंटन-अनुदान सं०-14

लेखाशीर्षक-2515001012100-42

संख्या-1/शा०/45/2024-1/36/2024

लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर 2024

विषय-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत रू०-8514.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया शासनादेश सं०-1/744511/2024/33-3099/38/2023 दिनांक 17.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं०-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-21-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू०-85,14,64,000/- (रू० पचासी करोड चौदह लाख चौंसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू०-85,14,64,000/- (रू० पचासी करोड चौदह लाख चौंसठ हजार मात्र) शत-प्रतिशत निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है-

1. आवंटित की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिये इसकी स्वीकृति दी जा रही है।
2. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद से भी न हो जाये, जिससे आवंटित की जा रही धनराशि पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति से बचा जा सके।
4. प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।
5. प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. आवंटित की जा रही धनराशि किसी भी दशा में आहरित कर पी०एल०ए०/बैंक खाते में जमा नहीं की जायेगी।
7. धनराशि कोषागार से तभी आहरित की जायेगी, जब उसके व्यय की तात्कालिक आवश्यकता हो।
8. धनराशि का आहरण कोषागार से तभी किया जायेगा जब पात्र पंचायतों का चयन सक्षम स्तर से कर लिया जाये।
9. आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
10. आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
11. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषय के गाईड लाइन/दिशा-निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा

4434
26.9.24

- आवंटित की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
2. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से सम्बन्धित शासनादेश सं०-81/2017/33-3-2017-212/2017 दिनांक 20.09.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश निर्गत किये गये हैं। इन शासनादेशों में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।
14. उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान सं०-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-21-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत डाला जायेगा।
15. वर्ष 2024-25 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2025 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं०-53 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(अटल कुमार राय)
निदेशक,

पंचायती राज उ०प्र०।

सं०-1/शा०/45/1/2024 तददिनांक।

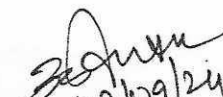
प्रतिलिपि-निम्नलिखितकोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
6. उपनिदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
7. एस०पी०एम०यू० पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

2024/1905-5


(अभय कुमार शाही)
उपनिदेशक (पं०)

पंचायती राज, उ०प्र०
25.9.2024


(अमिता श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ०प्र०।

Allotment Grid Report

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1-sha-45-2024-1-36-2024
001-1-36-2024
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
21 - मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-23/09/2024

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	851464000 851464000	851464000 851464000
	योग	वर्तमान प्रगामी	851464000 851464000	851464000 851464000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया पंचासी करोड़ चौदह लाख चौसठ हजार
रूपया पंचासी करोड़ चौदह लाख चौसठ हजार

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी



